कार्यालय जनपद न्यायाधीश –पीलीभीत।

आदेश संख्या– 14/2025 दिनांकितः जनवरी 09, 2025

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पत्रांक 15341/एडमिन जी–I/इलाहाबाद दिनांकित नवम्बर 18, 2024 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SMW (Crl.) No.(s) 4/2021 In RE POLICY STRATEGY FOR GRANT OF BAIL and SLP (Crl) No-529/2021 Sonadhar Vs. State of Chhattisgarh में पारित दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु सूचित किया गया था। जिसके अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित आदेश सं0 339/2024 दिनांकित 28.11.2024 के द्वारा, समस्त संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण से जिला कारागार पीलीभीत में निरूद्ध बंदियों के अभिरक्षा वारण्टों पर सी0एन0आर0 (केस नम्बर रिकार्ड)/पी0टी0एन0 (प्री ट्रायल नम्बर) अंकित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

परंतु अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत से प्राप्त आख्या अनुसार, "जिला कारागार पीलीभीत में निरूद्ध बंदियों के अभिरक्षा वारण्टों पर सी0एन0आर0/पी0टी0एन0 मा0 न्यायालयों से प्राप्त नहीं हो रहे हैं।"

अतः समस्त संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण से पुनः अपेक्षा की जाती है कि वे व्यक्तिगत निर्देशन में मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त सम्बन्धित अनुपालनार्थ सूचित हों।

09.01.2025

दिनांकितः जनवरी 09, 2025

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा),
जनपद न्यायाधीश,
पीलीभीत

पत्रांक /प्रशा0–2025 दिनांकित– जनवरी , 2025

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत को सूचनार्थ प्रेषित।

09.01.2025

जनपद न्यायाधीश,
पीलीभीत